—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 141/2024

उनवान

1. सुरेश
2. राजू पि. रामधन जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा, तहसील अराई, अजमेर

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुमोत्रा पुत्री रामधन,
2. काना पुत्र रामचन्द्र,
3. माया पत्नी काना,
4. किशनलाल पुत्र राधाकिशन,
5. मनोहर पत्नी किशनलाल,
6. भूरी पत्नी राधाकिशन,
7. ग्यारसी पुत्री राधाकिशन,
8. सूरता पुत्री राधाकिशन,
9. भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन,
10. निरमा पत्नी भवंरलाल, जाति जाट नि. मोडी, नसीराबाद,
11. संतोक पत्नी जगदीश जाति भांबी नि. मोडी, नसीराबाद,
12. मैनेजर बैंक आफॅ इंडिया, श्रीनगर,
13. उप पंजीयक नसीराबाद
14. राजस्थानसरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 12 अनुपस्थित, 13 व 14 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 17.12.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी के वंर्किग खसरा नम्बर 339 रकबा 0—3—10, 367 रकबा 0—15—0, 369 रकबा 0—17—0, 348 मिन रकबा 1—1—0, 375 रकबा 0—10—0, 400 रकबा 0—10—0 की आराजी के मूल खातेदार रामचन्द्र पुत्र गोपी है। रामचन्द्र पुत्र गोपी वादीगण के परनाना है, जिनकी मृत्यु हो गयी है। रामचन्द्र के 5 वारिस राधाकिशन, श्रीकिशन, काना, रामधन व हरलाल हुये हरलाल अविवाहित फौत हो गये हैं। रामधन व राधाकिशन की भी मृत्यु हो गयी है। रामधन की पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 है जो कि वादीगण की माता है। रामधन पुत्र रामचन्द्र वादीगण के नाना होने के कारण आराजी मुतनाजा के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण का बराबर हक निहित है। आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार [illegible] के तहत सदायगी के रूप में वादीगण भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 से 10 बिना विभाजन किये उक्त आराजी बचान करने पर आमादा है। तथा वादीगण [illegible] काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार [illegible] किया जावे। भूमि का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:40:15 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। 1 से 12 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी सुरेश का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया ग्राम मोडी के वंर्किग खसरा नम्बर 339 रकबा 0–3–10, 367 रकबा 0–15–0, 369 रकबा 0–17–0, 348 मिन रकबा 1–1–0, 375 रकबा 0–10–0, 400 रकबा 0–10–0 की आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में तत्कालीन खातेदार रामचन्द्र पुत्र गोपी की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी जरिये विरासत कमला पत्नी रामचन्द्र, राधाकिशन, श्रीकिशन, काना, रामधन व हरलाल पि रामचन्द्र के नाम दर्ज हुयी। रामधन पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो गयी है। प्रतिवादी संख्या 2 रामधन की पुत्री है। आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व अभिलेख अनुसार गोमा देवी पत्नी रामधन का 1/16 हिस्सा दर्ज है। जरियें विरासत गोमादेवी का हिस्सा समौत्रा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का नामान्तकरण प्रकियाधीन है। वादीगण का कथन है कि रामचन्द्र उनके परनाना है तथा रामधन उनके नाना है, अतः रामधन की पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 समौत्रा के साथ आराजी मुतनाजा पर उनका हक व अध्किार भी निहित हैं। किन्तु वादीगण को अपने नाना की सम्पति पर हिस्सेदारी का दावा करने का कोई अधिकार नही है क्यो कि आराजी मुतनाजा उनकी माता की पैतृक सम्पति है। वादीगण की माता जीवित है, उक्त आराजी पर उनकी माता का जन्म से अधिकार है। तकनीकी शब्दो में ऐसर सम्पति को बाधित सम्पति कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि पैतृक सम्पति पर उसका अधिकार सम्पति के मालिक की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होगा, जो इस प्रकरण में उनकी माता है। जन्म से अध्किार केवल पैतृक सम्पति पर लागू होता है, न कि मातृ पक्ष से विरासत मे मिली सम्पतियों पर, जो यहा स्थिति है। आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा संतोक पत्नी जगदीश व निरमा पत्नी भंवरलाल के नाम दर्ज है। संतोक पत्नी जगदीश व निरमा पत्नी भंवरलाल का नाम उक्त आराजी पर विकय से दर्ज हुआ है किन्तु संतोक पत्नी जगदीश व निरमा पत्नी भंवरलाल को किस मूल खातेदार द्वारा कितना हिस्सा विकय किया गया, यह वादी ने अपने वाद में स्पष्ट नही किया है। वादीगण द्वारा वाद में अंकित विरासत व वारिसान के समर्थन में शजरा प्रमाण पत्र भी पेश नही किया है। वादीगण की माता जीवित है। उसके जीवनकाल में वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम मोडी के हाल खसरा नम्बर 274, 338, 340, 220, 246, 253, 259 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:40:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

डनवान

सुरेश वनाम समौत्रा

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 141/2024
पेश करने की दिनांक – 15.7.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावतमुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोडी के हाल खसरा नम्बर 274, 338, 340, 220, 246, 253, 259 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 12 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:40:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)